न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–92/2016

कुमारी मंजू बनाम राज्य एवं संगीता रानी

– :: आदेश :: –

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के वाद संख्या–22/2014–15 में पारित आदेश ज्ञापांक–1256–1, दिनांक–16.09.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक, कल्याण विभाग, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 243/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3226, दिनांक–11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

अपील वाद के संदर्भ में अपीलार्थी का कहना है कि सोनवर्षा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत–शाहपुर के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–170, नवटोलिया, वार्ड नं0–02 के सेविका/सहायिका चयन हेतु वर्ष 2007 में विज्ञापन निकाला गया, जिसकी अंतिम तिथि–23.03.2007 था। अपीलार्थी सहित 06 अभ्यर्थियों द्वारा सेविका पद हेतु आवेदन दाखिल किया गया। तदनुरूप मेधा सूची का प्रकाशन दिनांक–28.03.2007 को ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से की गई, जिसका अनुमोदन परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक–30.03.2007 को सभी आपत्तियों के निराकरण उपरान्त के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा एवं महिला पर्यवेक्षिका के संयुक्त हस्ताक्षर से की गई। अपीलार्थी प्रथम स्थान पर थी, जो चयन हेतु सभी अर्हता को पूरा करती थी। दिनांक–30.07.2007 को उक्त केन्द्र के सेविका/सहायिका चयन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा के ज्ञापांक–374, दिनांक–27.07.2007 के आलोक में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के मौजूदगी एवं मुखिया की अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव के अलावे अन्य चयन समिति के सदस्यों के द्वारा पोषक क्षेत्र के आम लाभुक जनता की उपस्थिति में आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया गया। मेधा सूची क्रमांक–04 की अभ्यर्थी संजू कुमारी को पंचायत शिक्षिका होने के कारण चयन से वंचित कर दिया गया। क्रमांक–05 की आवेदिका जयमाला कुमारी को पोषक क्षेत्र से बाहर रहने के कारण चयन से वंचित कर दिया गया। बचे हुए चार अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया गया, जिसमें कुमारी मंजू का मेधा अंक 64.66 प्रतिशत एवं बबीता कुमारी का मेधा अंक 64.6 प्रतिशत एवं संगीता रानी का मेधा अंक 63.56 प्रतिशत एवं गीता भारती का मेधा अंक 55.57 प्रतिशत है जो सभी पोषक क्षेत्र से थी तथा सर्वोच्च मेधा अंक के आलोक में आम सभा द्वारा विधिवत रूप से किया गया। कार्यवाही पंजी पर चयन समिति के सदस्य के अलावे आम लाभुक जनता एवं सभी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दर्ज है तथा आम सभा समक्ष किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति चयन के विरूद्ध नहीं की गई। आम सभा द्वारा चयनोपरान्त मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के अनुकूल अपीलार्थी को नामांकन पत्र पंत्रांक–15, दिनांक–05.08.2007 को निर्गत किया गया। आवेदिका द्वारा सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षणोपरान्त अध्यक्ष एवं पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक–11.03.2008 को चयन पत्र निर्गत किया गया और तब अपीलार्थी अपना योगदान देकर उक्त तिथि से कार्यरत हुई तथा विधिवत रूप से केन्द्र का संचालन करती आ रही थी। पोषक क्षेत्र के आम जनता को कभी कोई शिंकायत नही रहा।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि अपीलार्थी के विधिवत चयन को बाधित करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी को गलत आरोप लगाते हुए आवेदन दिया कि वह इन्टर का अंक लगाई थी, जिसे गायब कर दिया व अपीलार्थी को पोषक क्षेत्र के बाहर की बताई। इस आलोक में जाँच का आदेश हुआ। उप विकास आयुक्त, सहरसा के द्वारा जाँच किया गया, जिसमें बगैर किसी पंजी एवं कागजातों का अवलोकन किये हुए अपना मंतव्य दिए जो अस्पष्ट व भ्रामक है। पत्रांक–162/गो0, दिनांक–10.03.2008 एवं पत्रांक–447/गो0, दिनांक–01.08.2008 है। जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं है कि चयन में अनयिमितताएँ किस प्रकार से की गई, बल्कि यह दर्शाया गया कि विपक्षी संगीता कुमारी का इन्टर पास का वेटेज अंक 5 नहीं जोड़ा गया। अगर इसे जोड़ा जाता तो मेधा अंक में आगे होती। किन्तु यह नहीं देखा गया कि विपक्षी संगीता कुमारी अपने आवेदन के समय इन्टर पास होने का कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं की थी और मेधासूची में अपीलार्थी से कम मेधा अंक प्राप्त थी। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–400, दिनांक–11.11.2008 के माध्यम से उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के चयन मे की गई तथाकथित अनियमितताएँ के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा, मुखिया एवं पंचायत सचिव, शाहपुर एवं अपीलार्थी कुमारी मंजू को सुनवाई एवं पक्ष रखने हेतु

दिनांक–18.11.2008 को उपस्थित होने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। सभी पक्षकार उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखे। विपक्षी संगीता रानी का इन्टरमीडिएट का अंक पत्र आम सभा से पूर्व प्राप्त किया गया अथवा आम सभा के बाद प्राप्त किया गया। इस संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य को पत्र निर्गत करते हुए प्रतिवेदन की माँग की गई। प्राचार्य के प्रतिवेदन के आलोक में संतलाल यमुना कॉलेज, मधेपुरा के प्राचार्य द्वारा पत्रांक–7, दिनांक–07.01.2009 से विपक्षी संगीता रानी के इन्टरमिडिएट अंक पत्र दिनांक–09.08.2007 को महाविद्यालय द्वारा निर्गत है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अवलोकनोपरान्त चयन प्रक्रिया को सही पाते हुए जाँच को स्थगित कर दिया गया। प्राचार्य द्वारा निर्गत पत्र से यह स्पष्ट हो गया कि विपक्षी आवेदन की तिथि से आम सभा की तिथि तक इन्टरमिडिएट पास को काई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की थी। चूँकि उसके पास वैसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था, जिस वजह से विपक्षी को इन्टरमिडिएट पास का वैटेज अंक 5 नहीं दिया जाता है तथा मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के अनुरूप मेधा सूची का प्रकाशन किया गया व विपक्षी को अपीलार्थी से कम मेधा अंक था। इस तथ्य को देखते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जाँच की प्रक्रिया समाप्त कर दिये। विपक्षी संगीता कुमारी द्वारा उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0–16017/2013 दाखिल की, जिसमें दिनांक–25.06.2014 को आदेश पारित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निदेशित किया गया कि दिनांक–11.11.2008 को निर्गत किये गये नोटिश के आलोक में इस आदेश के प्राप्ति उपरान्त पुनः नोटिश निर्गत करते हुए विवाद का निपटारा मुखर आदेश पारित करते हुए दो माह के अन्दर किया जाय। पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा ज्ञापांक–1005–1, दिनांक–22.07.2014 से अपीलार्थी को नोटिश निर्गत करते हुए वाद संख्या–22/14, में दिनांक–22.08.2014 को उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु कहा गया। अपीलार्थी उपस्थित होकर अपना जबाब दाखिल की। विपक्षी अपने आवेदन पत्र में इन्टरमिडिएट का कोई प्रमाण पत्र नहीं दी थी तथा आवेदन में इन्टरमिडिएट उर्त्तीणता के संबंध में न तो प्राप्तांक और न हीं प्रतिशत अंक दर्शायी है। इसलिए मेधा सूची उनके मैट्रिक उर्त्तीणता के आलोक में ही बनाया गया। इतना ही नहीं कॉलेज के प्राचार्य से इस संदर्भ में सूचना माँगा गया, जो अभिलेख में है। प्राचार्य द्वारा पत्रांक–7, दिनांक–07.01.2009 से बताया गया है कि विपक्षी संगीता रानी दिनांक–09.08.2007 को महाविद्यालय से अंक पत्र प्राप्त की हैं, जो आवेदन के अंतिम तिथि–23.03.2007 तथा आम सभा तिथि–30.07.2007 के बाद का है। इससे यह प्रमाणित है कि विपक्षी संगीता रानी द्वारा न तो आवेदन पत्र में इन्टरमिडिएट उर्त्तीणता का कोई साक्ष्य दिया न हीं आम सभा के समक्ष इन्टरमिडिएट का उर्त्तीणता का कोई मूल प्रमाण पत्र दाखिल किया। इन्टरमिडिएट का 5 बोनस अंक किस आधार पर दिया जाता और इस प्रकार से विपक्षी संगीता रानी का दावा बिल्कुल गलत है तथा मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी कुमारी मंजु का चयन विधिवत मार्गदर्शिका के अनुरूप सर्वाधिक अंक के आधार पर पोषक क्षेत्र के वर्ग बाहुल्य अभ्यर्थी के रूप में किया गया है। किन्तु निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा गलत रूप से मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों को गलत प्रख्यापन कर महज संदेहास्पद जाँच के आधार मानकर यह स्वीकार करते हुए आवेदन की तिथि की अंतिम तिथि–23.03.2007 को विपक्षी इन्टर पास नहीं थी, बल्कि दिनांक–31.05.2007 को इन्टरमिडिएट पास की जो आम सभा दिनांक–30.07.2007 से पहले का है तथा यह भी स्वीकार किये कि तकनीकी कारणों से विपक्षी संगीता रानी इन्टरमिडिएट उर्त्तीणता का प्रमाण पत्र दिनांक–09.08.2007 को प्राप्त की और बाल विकास परियोजना को दी, कितना हास्यास्पद है जब चयन की प्रक्रिया दिनांक–30.07.2007 को समाप्त हो गया। तब किस परिस्थिति व प्रावधान के अनुरूप विपक्षी संगीता रानी द्वारा दिनांक–09.08.2007 को प्राप्त किये गये। इन्टरमिडिएट का प्रमाण–पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा को दी तथा मार्गदर्शिका, 2006 के वर्णित किस प्रावधान के अनुरूप उसे 5 वेटेज अंक देकर उसका चयन किया जाता। बावजूद इससे गलत व मनमाने रूप से कानून के विपरीत जाकर विपक्षी को इन्टरमिडिएट का 5 वेटेज अंकर देकर मेधा अंक अधिक दर्शाते हुए अपीलार्थी के विधिवत चयन को रद्द करते हुए विपक्षी संगीता रानी का चयन करने का आदेश दिनांक–16.09.2014 को पारित कर दिए।

अपीलार्थी का यह कहना है कि ये कैसे संभव है कि बगैर इन्टरमिडिएट का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये हुए उसे मेधा सूची प्रकाशन के समय 5 वेटेज अंक का लाभ दिया जाय, जबकि मेधा सूची का प्रकाशन दिनांक–28.03.2007 को किया गया, जिसका अनुमोदन दिनांक–30.03.2007 को परियोजना कार्यालय से किया गया।

इसलिए निम्न न्यायालय तथ्य से हटकर विपक्षी के ऐन–केन–प्रकारेण नियम कानून से हटकर लाभ देने के उद्देश्य मात्र से गलत रूप से आदेश पारित कर अपीलार्थी विधिवत चयन को रद्द करते हुए विपक्षी के चयन का आदेश दिए हैं, जो सर्वथा अनुचित व दुर्बल प्रकृति का है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–116, दिनांक–09.04.2012 में स्पष्ट है कि अपीलार्थी का चयन निमयानुकूल व विधिवत रूप से किया गया है। चयन प्रक्रिया वर्ष, 2007 में पूर्ण किया गया, विपक्षी को प्रावधान के मुताबिक प्रथम अपील 30 दिनों के अन्दर करना चाहिए था, जो नहीं किया। इसलिए निम्न न्यायालय में दाखिल वाद कालबाधित है। उप विकास आयुक्त का प्रतिवेदन बाह्यजनित कारणों से प्रेरित है। चूँकि बिना अभिलेख देखे तथ्य को जाने अपना प्रतिवेदन समर्पित किये जो नियमानुसार गलत है। इसी तरह के एक मामला में माननीय उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच द्वारा एल०पी०ए० 881/2013 सीमा देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मे दिनांक–13.02.2014 को आदेश में यह उल्लेख है कि आवेदन अधुरा है तथा ऑथिरिटी संतुष्ट है कि आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है तो आवेदिका का वैधानिक अधिकार चयन हेतु नहीं बनता है।

प्रतिपक्षी संख्या–3 की ओर से दिनांक–11.06.2015, 06.08.2016 एवं 13.08.2016 को जवाब वास्ते समयावेदन की माँग की गई। जवाब प्राप्त। प्रतिपक्षी संगीता रानी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–22/2014–15 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील वाद दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अपील आवेदन की कंडिका–8 में अपीलार्थी के अभिकथन तथा जिला पदाधिकारी, सहरसा को संबोधित पत्रांक–162, दिनांक–10.03.2008 एवं अग्रतर पत्रांक–447/गो0, दिनांक–01.08.2008 जो जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–1487/गो0, दिनांक–16.04.2008 के प्रसंग में जाँच प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत अपील आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, के सहज अवलोकन से जाँच प्रतिवेदन का मंतव्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी जिनका मेधा अंक 64.66 प्रतिशत आया है, का चयन किया गया है, जो गलत है तथा पुनः अंकित किया गया है, कि अपीलार्थी का चयन बिल्कुल अवैध प्रतीत होता है तथा प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए श्रीमती संगीता रानी का चयन करना नियमानुकूल प्रतीत होता है। अपीलार्थी के पक्ष में निर्गत चयन पत्र है, वास्तविकता तुगलकी फरमान के रूप में विचारणीय एवं मूल्यांकन योग्य है। अपीलार्थी कुमारी मंजू को दिनांक–10.03.2008 को जिला पदाधिकारी, सहरसा के निर्देश पर उप विकास आयुक्त, सहरसा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अवैध एवं गलत घोषित किया गया तथा जाँच प्रतिवेदन सर्मपण के दूसरे दिन चयन–पत्र से अपीलार्थी को नवाजा गया तथा घोषित अवैध चयन के बावजूद अपीलार्थी को दिनांक–16.09.2014 तक अवैधानिकता की बारम्बरता को दुहराते हुए अवैध स्थिति को प्राप्त कर मानदेय प्राप्त करती रही तथा पोषाहार के आड़ में स्वयं पोषित होकर संबंधित पदाधिकारियों की कृपा पात्र बन गई। अपीलार्थी के द्वारा अनुलग्नक–6 के रूप में संलग्न जाँच प्रतिवेदन की वैधानिकता की कसौटी को किसी सक्षम न्यायालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित होने की तारीख–10.03.2008 से आज तक कभी किसी भी रूप में चुनौती अथवा न्यायिक समीक्षा वास्ते प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रासंगिक दोनों जाँच प्रतिवेदनों की वैधानिकता एवं साक्ष्य आधारित व्यवहारिक पहलू आज भी अपने मूल स्वरूप में खड़ा है, जिसके आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया मानदेय तथा पोषाहार वितरण में बरती गई अनियमितता न्याय के दृष्टि में वसूलनीय हैं। सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–16017/2013 में दिनांक–10.03.2014 को पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा द्वारा ज्ञापांक–1256–1, दिनांक–16.09.2014 विचारोपरान्त नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए अपीलार्थी के चयन को दिनांक–10.03.2008 को अवैध घोषित होने की बुनियादी पर चयन मुक्त किया गया है, जो साक्ष्यों की रौशनी में हर दृष्टिकोण से पाक व साफ है, जिसमें किसी प्रकार के त्रुटि की स्थिति परिलक्षित नहीं होता है।

प्रतिवादी ने आगे कहा है कि अभिलेख में मौजूद जाँच प्रतिवेदन तथा आदेश अन्दर अपील के सहज अवलोकन से अपीलार्थी को मैट्रिक प्राप्तांक के आधार पर 59.66 प्रतिशत तथा विपक्षी संख्या–3 को 63.56 प्रतिशत अंक प्राप्त है, जो अधिसूचित मार्गदर्शिका–2016 के कंडिका–4 में उद्धृत शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी तथा अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, के आधार पर अपीलार्थी का दावा सरसरी तौर पर निम्न मेधा अंक को ध्यान में रखते हुए खारीज करने योग्य हैं। अपीलार्थी के अपील आवेदन के अनुलग्नक–13 के संदर्भ में कहना है कि संगीता कुमारी के पति–रतन कुमार को अप्रशिक्षित छह हजार प्रतिमाह नियत वेतन के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में

दर्शाया गया है, जबकि अधिसूचित मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका–6 में अयोग्यता को निम्नरूपेण परिभाषित किया गया है–"सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12,000.00 रूपये य उससे ज्यादा है/जनप्रतिनिधि/संबंधित प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पत्नी/बहू सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होगी। "प्रावधान के अनुसार विपक्षी संख्या–3 के अयोग्यता को अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में अंकित अभिकथन तथा अनुलग्नक–13 की परिधि से सर्वथा बाहर दर्शित हैं। कारण, कंडिका–6 में अयोग्यता से संबंधित अंकित प्रावधान के अन्तर्गत विपक्षी संख्या–3 संगीता रानी कहीं से भी अयोग्य घोषित नहीं की जा सकती हैं।

अंत में प्रतिपक्षी ने प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया उद्घाटित एवं प्रदर्शित निर्विवाद तथ्यों के पारदर्शी निर्विवाद तथ्यों के पारदर्शी प्रकृति के दर्पण में विपक्षी संख्या–3 की शैक्षणिक योग्यता, मार्गदर्शिका–2011 के अनुकूल तथा निर्धारित अन्यान्य अयोग्यता की कसौटी पर विपक्षी संख्या–3 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समादेश याचिका में पारित आदेश दिनांक–25.06.2014 तथा तदनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए तथा तथ्यों को विश्लेषण करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–16.09.2014 को पारित आदेश को संपुष्ट करने की याचना की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रतिपक्षी द्वारा आवेदन में इण्टर उर्त्तीण का अंक प्रतिशत, प्राप्तांक का विवरण नहीं दिया गया है तथा मेधा सूची में, आम सभा में भी उर्त्तीणता का जिक्र नहीं किया है। स्पष्ट है कि इन्हे बाद में अंक पत्र, प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि आवेदक को आम सभा में मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होना चाहिये।

अतएव प्रस्तुत अपील स्वीकृत किया जाता है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० कोषांग, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि प्रतिपक्षी श्रीमती संगीता रानी का चयन रद्द करते हुए अपीलार्थी श्रीमती कुमारी मंजू को सेविका पद पर बहाल करना सुनिश्चित करेंगे। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

20.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

20.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1510-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
26.09.017